

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ1(5)परि/स्था./न.का./2022/25794  
अधिसूचना

जयपुर, दिनांक:- 02.11.2022

राजस्थान मोटरयान नियम, 1990 के नियम 5.2 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) की धारा 68 के प्रयोजनार्थ वर्तमान में संचालित प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर को प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम तथा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-द्वितीय (नवसृजित) में विभाजित किये जाने के फलस्वरूप निम्न तालिका अनुसार क्षेत्राधिकार का निर्धारण करती है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	कार्यालय का क्षेत्राधिकार
1.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-प्रथम	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिवहन जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाना - चाकसू, शिवदासपुरा, सांगानेर सदर, कोटखावदा, मानसरोवर, शिप्रापथ, मुहाना, अशोक नगर, ज्योति नगर, विधायकपुरी, सोडाला, महेश नगर, श्यामनगर, आदर्शनगर, ट्रांसपोर्ट नगर, जवाहर नगर, एस.एम.एस., गांधीनगर, लालकोठी, मोती डूंगरी, एयरपोर्ट, मालवीय नगर, जवाहर सर्किल, बजाज नगर, खो-नागोरियान, सांगानेर, प्रतापनगर, रामनगरिया, मालपुरा गेट, भांकरोटा, महेन्द्रा सेज, बगरू, माणक चौक, सुभाष चौक, रामगंज, गलता गेट, आमेर, कोतवाली, जालुपुरा, नाहरगढ, ब्रहमपुरी, सिंधी कैंप, बनीपार्क, सदर, संजय सर्किल, जयसिंह पुरा खोर, बस्सी, कानोता, तूंगा, जमवारामगढ, आंधी और रायसर।</li> <li>जिला परिवहन कार्यालय, दूदू के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाना - दूदू, फागी, फुलेरा, मौजमाबाद, नरेना, सांभर, जोबनेर और रेनवाल मांजी।</li> </ul>
2.	प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-द्वितीय	<ul style="list-style-type: none"> <li>परिवहन जिला जयपुर के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाना - वैशालीनगर, करणी विहार, चित्रकूट, झोटवाडा, करधनी, कालवाड, मुरलीपुरा, हरमाडा, विश्वकर्मा, दौलतपुरा, शास्त्रीनगर, विद्याधर नगर और भट्टा बस्ती।</li> <li>जिला परिवहन कार्यालय, चौमूं के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाना - चौमूं, गोविन्दगढ, सामोद, कालाडेरा और रेनवाल।</li> <li>जिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाना - शाहपुरा, मनोहरपुर, चन्दवाजी, अमरसर, विराटनगर और भाबरू।</li> <li>जिला परिवहन कार्यालय, कोटपूतली के क्षेत्राधिकार में स्थित पुलिस थाना - कोटपूतली, पनियाला, सरुण्ड, और प्रागपुरा।</li> </ul>



विभाग के आदेश क्रमांक एफ1(5)परि/स्था./न.का./2022/21460 दिनांक 07.09.2022 द्वारा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-द्वितीय नवीन कार्यालय खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है। प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर-द्वितीय को पंजीयन कोड RJ59 कार्यालय आदेश संख्या 17/2022 द्वारा आवंटित किया जा चुका है।

राज्यपाल के आदेश से,

(महेन्द्र कुमार खीची)  
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(5)परि/स्था./न.का./2022/25795-817 जयपुर, दिनांक:- 02.11.2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन एवं सडक सुरक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन एवं सडक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, महालेखाकार, राजस्थान।
5. निजी सचिव, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राज., जयपुर।
7. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
9. जिला कलेक्टर, जयपुर।
10. पुलिस आयुक्त, जयपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, जयपुर।
12. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.) एवं संयुक्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
15. निदेशक, जनसंपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
16. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर कृपया यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक 02.11.2022 में प्रकाशित कर अधिसूचना की 10 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. वित्तीय सलाहकार, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
18. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, जयपुर।
19. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
20. कोषाधिकारी, जयपुर।
21. "नोडल अधिकारी वेबसाइट" को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
22. लेखा/भुगतान शाखा (दो प्रतियों में)।
23. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.)  
एवं संयुक्त शासन सचिव